

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

प्रेम देवी बनाम राजस्थान सरकार

किरम मुकदमा- 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 457/2025 (केकडी)

कपड बार्ग

५७.

न्यायालय श्रीमान्
अपील की १०
श्रीमती प्रेम देवी

5/2/26

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांत एवं रेसपो. उपस्थित।
राजस्व धार संघ / जिला धार संघ द्वारा न्यायिक कार्य
स्थगित रखा गया। भिसल पूर्वानुसार वास्ते
दिनांक 27/2/26 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

27/2/26

पत्रावली पेश की गई/पी.ओ. साहब अवकाश पर हैं/
अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 23/3/26 को पेश हो।

23/3/26

पत्रावली पेश की गई। अतिरिक्त संपत्ति उप. लाजपत
अपीलांत खलम हेतु संपत्ति चाहते हैं, जो अपील जाला है।
आयंग्र खलम करें। पत्रावली वाले खलम अपील अपीलांत
30/3/26 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

30/3/26

पत्रावली पेश की गई। अतिरिक्त अपीलांत एवं
अपीलांत अनुपस्थित। अतिरिक्त अपीलांत एवं अपीलांत
को नई बार रुक-रुक कर आवाजे मिलाने रहे।
जिन्हु उपस्थित नहीं हैं। कल अपील अपीलांत अपील
हानती - मकम पेशी के खातिर ही जाली है। पत्रावली
प्रिसपरमुमाट होकर नम्बर सफुप है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी० ए० संख्या 457/2025, जिला - अजमेर

2025/457

श्रीमती प्रेम देवी बंवा स्व० श्री रामेश्वर, जाति बागरिया, निवासी भानखण्ड हाल निवासी राजपुरा, तहसील सावर, जिला अजमेर, राजस्थान।

अपीलांत

बनाम

राजस्थान सरकार जरिमे तहसीलवार महोदय, तहसील केकडी, जिला अजमेर राजस्थान।

रेसपोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकडी, जिला अजमेर दिनांक 28.07.2025 जो प्रकरण संख्या 4038/2015 उनवान श्रीमती प्रेम देवी बनाम राजस्थान में पारित किया गया है।

श्री कृष्ण राज अपील
श्रीमती प्रेम देवी
सावर
22/9/25
राजस्थान अपील प्राधिकारी
24.9.25

457/2025
24.9.25

अपीलांत की आर से निम्न निवेदन है कि :-

प्रकरण के सम्बन्ध हालात इस प्रकार है कि अपीलांत/वादीया द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकडी, जिला अजमेर के न्यायालय में एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 186, 89, 92ए, 209 राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया।

अपने वाद पत्र में अपीलांत/वादीया द्वारा यह तथ्य लिये गये की वादग्रस्त आराजी वार्के मीला, जगल भानखण्ड, तहसील केकडी में स्थित है वादग्रस्त आराजी के वर्डिंग संवत् 2041 में खसरा नम्बर 178/1/1 थे। जिनके भू-संशोधन के अनुसार खसरा नम्बर 2153 रकबा 7.56 हेक्टेयर किरम बरानी 3 हो गये वर्तमान खसरा नम्बर 1 इस आराजीयत पर वादीया के ससुर नानकीया पुत्र घीसा के नाम आवंटन हुआ था और वादीया व उसके ससुर नानकीया व उसके पाते रामेश्वर का ही तत्समय से कब्जा कारत चला आ रहा है।

वादीया के ससुर नानकीया पुत्र घीसा बागरिया ने अपनी कब्जा कारतशुदा आराजीयत को अपने नाम आवंटन करवाने हेतु आवंटन सलाहकार समिति के

[Signature]